

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

मु.नं. 34/2024 क्रि.म - प्राप्ति स्थानांतरण

उपनाम - सुमेर सिंह बनाम श्री रामसिंह राजवत 500 बांकी मुर्ह व अन्य

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म

20-5-25

प्राची सुमेर सिंह पुत्र धनपुत्र गुरजर निवासी नयागांव तहसील बांकी मुर्ह द्वारा जारी अधिवक्ता श्यामसुन्दर शर्मा प्राचीना पत्र पत्रावली तलब करने एवं प्राचीना पत्र विक्री किसे जाने प्राचीना पत्र स्थानांतरण पत्र करने पर पत्रावली नियत दिनांक 22-5-25 से आज तलब की गई अधिवक्ता प्राची एवं प्राची को सुना गया प्राची द्वारा विचाराधीन प्राचीना पत्र को विक्री करने का प्राचीना पत्र प्रस्तुत कर निस्तारण करने का निवेदन करने पर न्यायालय उप जिला कलक्टर बांकी मुर्ह में विचाराधीन पत्रावली सं. 159/2022 दावा उद्घोषणा इन्जल दुरुस्ती तमासा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उपनाम धर्मसिंह बनाम मूल्यांकन के अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राचीना पत्र स्थानांतरण उपनाम सुमेर सिंह बनाम श्री रामसिंह राजवत उप जिला कलक्टर बांकी मुर्ह व अन्य खारिज किया जाता है निवेदन की प्रति उप जिला कलक्टर बांकी मुर्ह को भिजवायी जावे। पत्रावली फंसल न्यायालय की जाकर वास्तविक कम हो एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट अमिलेप्यागार की जावे निवेदन आज दिनांक 20-5-25 को मेरे द्वारा सुने न्यायालय सुनाया गया।

सुमेर सिंह

निर्णय पत्र
805
23/5/25



(Signature)
रामस्वरूप चौहान
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)

